


उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या 179/नौ-5-2018-192बजट/18
लखनऊ: दिनांक 5 जनवरी, 2019

शुद्धि-पत्र


शासनादेश संख्या-471/2018/4235/नौ-5-2018-192बजट/2018, दिनांक 18.01.2018 द्वारा सैप वर्ष 2017-20 के लिए अमृत (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के अन्तर्गत नगर निगम, इलाहाबाद नगर के सीवर डिस्ट्रिक्ट-बी में टायलेट, किचन एवं बाथरूम के ग्रे एवं ब्लैक वाटर का संयोजन से करने संबंधी प्रयोजना की निर्धारित लागत रू0 1102.94 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 161.69 लाख अवमुक्त किया गया है। त्रुटिवश उक्त शासनादेश का दिनांक 18.01.2019 की जगह 18.01.2018 तथा प्रयागराज की जगह इलाहाबाद अंकित हो गया है। अतः उक्त शासनादेश में अंकित दिनांक 18.01.2018 की जगह 18.01.2019 तथा इलाहाबाद की जगह प्रयागराज पढ़ा एवं समझा जाय।

2- उक्त शासनादेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा व समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।


(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या-179 (1)/नौ-5-18-192बजट/2018, तद्विनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
 - 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
 - 3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
 - 4- निदेशक (अमृत), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
 - 5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
 - 6- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, प्रयागराज।
 - 7- नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज।
 - 8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
 - 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 10- अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
 - 11- मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
 - 12- निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
 - 14- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव